# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—376/2016/223 (2016/00376)**

1. राजू पुत्र स्व0 श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम चुन्दड़ी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 8.7.2016 अंतर्गत वाद संख्या 6/2015.**

**उपस्थितः—**

1. श्री उमेश कुमार, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.

## निर्णय

**दिनांकः— 19.7.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चून्दड़ी, तह0 किशनगढ़ में खसरा नंबर 127/1/2 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है तथा कानाराम पुत्र स्व0 रामचंद्र, जाति जाट का खरा नंबर 127/1/2 रकबा 21—05—00 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि कृषि भूमि स्थित है, जिसका अड़ौस पड़ौस प्रार्थना पत्र में वर्णित है । प्रार्थना पत्र में वर्णित अड़ौस पडौस की कृषि भूमि खसरा नंबर 127/1/2 रकबा 5 बीघा भूमि पर स्व0 कानाराम पुत्र रामचंद्र जाट का संवत् 2012 से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा था । कानाराम जाट के साथ उपरोक्त 5 बीघा भूमि पर वादी भी काश्त करता आ रहा था । खसरा परिवर्तनशील में कब्जा कानाराम जाट का दर्ज होता था । कानाराम के स्वर्गवास के बाद वादी राजू का अकेले का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित अड़ौस पडौस की 5 बीघा भूमि पर काबिज काश्तकार व खातेदार कृषक है । विवादित आराजी काबिज काश्त की है व वादी ने जुर्माना भी अदा किया है । उक्त वर्णित भूमि का नियमन आवंटन अन्य लोगों के पक्ष में किया जा चुका है तथा अब उनके नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । उपरोक्त अडौस पडौस की 5 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज हो रखी है इस कारण वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित 5 बीघा भूमि को वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज करने की आज्ञाप्ति बहक वादी पारित की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय

व डिक्री दिनांक 8.7.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में अपीलांट के पूर्वाधिकारी संवत् 2012 से पूर्व से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त कब्जे की पुष्टि खसरा परिवर्तनशील एवं राजस्व लगान के दस्तावेजों से होती है । अपीलांटस पूर्वजों के समय से विवादित आराजी पर संवत् 2012 से पूर्व से काबिज काश्त चले आने से धारा 15 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है । संशोधित धारा 15–ए–ए–ए में विधायिका द्वज्ञरा संशोधित किया गया है कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकार्ड में हुई विसंगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से अपीलांट के पक्ष में अपील वर्णित आराजी खसरा नंबर 127/1/2 रकबा 5 बीघा की खातेदारी प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इंद्राज करवाने का अपीलांट कानूनन अधिकारी है । बहस में आगे कथन किया कि राज्य सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 06/(39)राज.6/201/6, जयुपर, दिनांक 7.6.2003 के अनुसार यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षो का कब्जा रिकार्ड से प्रमाणित होना इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षो के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे । उक्त परिपत्र के अनुसार अपीलांट का संवत् 2012 से सिवायचक भूमि पर कब्जा काश्त होने से नियमन का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने उक्त परिपत्र एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है। वादी/अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है जबकि नियमों में कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली एवं अपीलांट के कथनों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहा है । इस संबंध में यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है । यदि अपीलांट का पुराना कब्जा काश्त है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमन/आवंटन के संबंध में कार्यवाही करनी चाहिये । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 19.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**